

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष- नं० (0551) 2580010, फ़ैक्स (0551) 2580010.

अल्प कालीन ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा/ uplc में विद्युत निर्माण कार्य हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंसधारी ठेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनोंक 20.10.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनोंक 29.10.2020 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा दिनोंक 30.10.2020 को अपरान्ह 3:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन घनराशि रु० (जी.एस.टी. व लेबर सेस अतिरिक्त।	घरोहर घनराशि रु०	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-13 के विस्तार हेतु विकास कार्य में विद्युतीकरण का कार्य।	14807772.00	940389.00	2950.00	06 माँह	'ए' श्रेणी एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंस	आन- लाईन
2	औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-13 के विस्तार हेतु विकास कार्य में विद्युतीकरण कार्य के अन्तर्गत ट्रान्सफार्मर लगाने का कार्य।	10497108.00	724856.00	2950.00	06 माँह	तदैव	आन- लाईन
3	औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-13 के विस्तार हेतु विकास कार्य में विद्युतीकरण के अन्तर्गत अन्डरग्राउंड केबिल डालने का कार्य।	5102695.00	455135.00	2950.00	06 माँह	तदैव	आन- लाईन

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.gidagkp.org/www.E-tender.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनोंक 29.10.2020 तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट www.gidagkp.org/www.E-tender.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक 2216 /अभि०नि०-6 /विद्युत/निविदा (अल्प कालीन) /गीडा/2020-21 दिनोंक 16 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, गीडा को सूचनार्थ।
- 2-सहायक महा प्रबन्धक(सम्पत्ति)/जन सम्पर्क अधिकारी गीडा, को एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
- 3- निविदा समिति के सदस्यों अधिशासी अभियन्ता (विद्युत)/वरिष्ठ प्रबन्धक (सि०)/एव महा प्रबन्धक (वित्त) को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- श्री बृजेश कुमार अग्रहरी सहायक प्रबन्धक (सि०)/कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट www.gidagkp.org/www.E-tender.gov.in पर अपलोड/डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- संबंधित पत्रावली हेतु।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष- नं० (0551) 2580010, फ़ैक्स (0551) 2580010.

अल्प कालीन ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा/uplc में विद्युत निर्माण कार्य हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंसधारी टेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक 20.10.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 29.10.2020 को अपराह्न 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा दिनांक 30.10.2020 को अपराह्न 3:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि रु० (जी.एस.टी. व लेबर सेस अतिरिक्त।	धरोहर धनराशि रु०	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-13 के विस्तार हेतु विकास कार्य में विद्युतीकरण का कार्य।	14807772.00	940389.00	2950.00	06 माँह	'ए' श्रेणी एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंस	आन- लाईन

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.gidagkp.org/www.E-tender.gov.in पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 29.10.2020 तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट www.gidagkp.org/www.E-tender.gov.in से प्राप्त किया जा सकता हैं।

नियम एवं शर्तें :-

- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा- तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए बिडस की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।
- ऐसे निविदादाता जिसका सगा-संबंधी (Defined as first bold relations, and their spouses) जैसा कि सहायक प्रबन्धक वित्त/सहायक प्रबन्धक विद्युत/सिविल/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/अधिशाली अभियन्ता के पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध में नाम तथा पर सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा परिक्षेत्र में कार्यरत हैं।
- ऐसे राजपत्रित अधिकारी अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष कि सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये हैं, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रत्येक निविदादाताओं को रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर सभी सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं। जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/आकलित हो सकें।
- प्रत्येक निविदा के साथ निविदाता को सभी सूचनाये/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैस- टी-4, टी-5, की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी-6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ शासनादेश संख्या-2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी०सी० दिनांक 23-09-2014 के कम से अपलोड करना अनिवार्य हैं।

- I) प्रत्येक निविदादाताओं को ₹0100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर नोटरी एफिडेविट कराते हुये सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों पर देना अनिवार्य है।
- J) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-07-20176 (सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 को बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों रैगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा साथ ही उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होगा उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागा में ब्लैक लिस्टेड की श्रेणी में आते है वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- K) निविदा में उल्लिखित कार्य के समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र लोक निर्माण विभाग/यू० पी० पी० सी० एल० के टी-2, में निहित प्राविधानों के अनुसार आगणन मूल्य का समान प्रकृति के कार्य का एक तिहाई धनराशि का संतोषजनक कार्य पूर्ण होने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
- L) निविदादाता द्वारा विगत 05 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम आगणन के 50 प्रतिशत धनराशि का सी०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेस सीट एवम् आई०टी०आर० तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी०एस०टी० का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।
- M) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर लोक निर्माण विभाग/यू०पी०पी०सी०एल० के नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा। जमा की गयी परफार्मेन्स सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- N) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंको में निर्धारित स्थान पर अंकित होनी चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- O) निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है, अन्यथा विलम्ब के लिये ₹0 1000 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- P) आपूर्ति/फिक्सिंग के लिये मगायी गयी सामग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी०आई०एस० प्रमाण-पत्र तथा आई०एस०ओ० प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- Q) आपूर्ति/फिक्सिंग के लिये मंगायी गयी सामग्री का मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा गीडा कार्यालय से नामित अधिकारी/कर्मचारी की ठेकेदार के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही ठेकेदार द्वारा सामग्री की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी।
- R) ठेकेदार/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा जारी 'क' श्रेणी वैध लाइसेंस, की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं।
- S) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) गीडा में निहित होगा।
- T) ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। निर्धारित डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड तक यदि भविष्य में शासन द्वारा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार/फर्म द्वारा मान्य होगा। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लाईबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।
- U) निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- V) (i) ऑन लाईन के अतिरिक्त निविदा की एक मूल प्रति एवं धरोहर धनराशि एवम् धरोहर धनराशि/निविदा मूल्य हेतु RTGS/NEFT की गयी धनराशि का (UTR No/Transaction ID) तथा निविदा से संबंधित समस्त प्रपत्रों पर पृष्ठ अंकित करते हुये इन्डेक्श के साथ सील कर निविदा खोलने के समय से पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) के कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7 गीडा, गोरखपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (ii) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

(iii) ठेकेदार द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जाँच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति अथवा उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

W) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) नियमानुसार देय होगा।

(i) जी०एस०टी० एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोटि करना सुनिश्चित करेंगे।

X) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ० प्र० शासन लोक निर्माण अनुभाग-7, लखनऊ के शासनदेश संख्या-08/2017/836/23-07-17-176 (सा०)/06 दिनांक 08 जून 2017 पैरा 19 के अनुसार देय होगी।

(i) अन्य नियम एवं शर्तें उ० प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, एवम् लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होगी।

Y) कार्य को फर्म/ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा।

Z) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(संजीव रंजन)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 2215 /अभि०नि०-6/विद्युत/निविदा (अल्प कालीन)/गीडा/2020-21 दिनांक 16 अक्टूबर, 2020
प्रतिलिपि :-

1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचनार्थ।


2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- श्री बृजेश कुमार अग्रहरी सहायक प्रबन्धक (सि०)/कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट www.gidagkp.org/www.E-tender.gov.in पर अपलोड/डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।

4- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

6- संबंधित पत्रावली हेतु।



(संजीव रंजन)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष- नं० (0551) 2580010, फ़ैक्स (0551) 2580010.

अल्प कालीन ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा/uplc में विद्युत निर्माण कार्य हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंसधारी ठेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक 20.10.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 29.10.2020 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा दिनांक 30.10.2020 को अपरान्ह 3:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि रु० (जी.एस.टी. व लेबर सेस अतिरिक्त।	धरोहर धनराशि रु०	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-13 के विस्तार हेतु विकास कार्य में विद्युतीकरण कार्य के अन्तर्गत ट्रान्सफार्मर लगाने का कार्य।	10497108.00	724856.00	2950.00	06 मॉह	'ए' श्रेणी एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंस	आन- लाईन

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.gidagkp.org/www.E-tender.gov.in पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 29.10.2020 तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट www.gidagkp.org/www.E-tender.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

नियम एवं शर्त :-

- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा- तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- ITB क्लॉज 4.4 बी के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।
- ऐसे निविदादाता जिसका सगा-संबंधी (Defined as first bold relations, and their spouses) जैसा कि सहायक प्रबन्धक वित्त/सहायक प्रबन्धक विद्युत/सिविल/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/अधिकाारी अभियन्ता के पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध में नाम तथा पर सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा परिक्षेत्र में कार्यरत हैं।
- ऐसे राजपत्रित अधिकारी अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष कि सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये हैं, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रत्येक निविदादाताओं को रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर सभी सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं। जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/आकलित हो सकें।
- प्रत्येक निविदा के साथ निविदाता को सभी सूचनाये/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे- टी-4, टी-5, की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी-6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ शासनादेश संख्या-2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी०सी० दिनांक 23-09-2014 के कम में अपलोड करना अनिवार्य हैं।

- I) प्रत्येक निविदादाताओं को रू0100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर नोटरी एफीडेविट कराते हुये सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों पर देना अनिवार्य है।
- J) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-07-20176 (सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 को बिन्दु संख्या के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों गैरेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा साथ ही उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में संलिप्त होगा उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागा में ब्लैक लिस्टेड की श्रेणी में आते है वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेगा और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ (नोटरी एफीडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- K) निविदा में उल्लिखित कार्य के समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र लोक निर्माण विभाग/यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 के टी-2, में निहित प्राविधानों के अनुसार आगणन मूल्य का समान प्रकृति के कार्य का एक तिहाई धनराशि का संतोषजनक कार्य पूर्ण होने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
- L) निविदादाता द्वारा विगत 05 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम आगणन के 50 प्रतिशत धनराशि का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेस सीट एवम् आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- M) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर लोक निर्माण विभाग/यू0पी0पी0सी0एल0 के नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत पर्फार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा। जमा की गयी परफार्मेन्स सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- N) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंको में निर्धारित स्थान पर अंकित होनी चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- O) निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यदेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है, अन्यथा विलम्ब के लिये रू0 1000 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- P) आपूर्ति/फिक्सिंग के लिये मंगायी गयी सामग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- Q) आपूर्ति/फिक्सिंग के लिये मंगायी गयी सामग्री का मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा गीडा कार्यालय से नामित अधिकारी/कर्मचारी की ठेकेदार के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही ठेकेदार द्वारा सामग्री की आपूर्ति संबंधित साइट पर की जायेगी।
- R) ठेकेदार/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी 'क' श्रेणी वैध लाइसेंस, की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- S) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) गीडा में निहित होगा।
- T) ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। निर्धारित डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड तक यदि भविष्य में शासन द्वारा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार/फर्म द्वारा मान्य होगा। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।
- U) निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- V) (i) ऑन लाईन के अतिरिक्त निविदा की एक मूल प्रति एवं धरोहर धनराशि एवम् धरोहर धनराशि/निविदा मूल्य हेतु RTGS/NEFT की गयी धनराशि का (UTR No/Transaction ID) तथा निविदा से संबंधित समस्त प्रपत्रों पर पृष्ठ अंकित करते हुये इन्डेक्स के साथ सील कर निविदा खोलने के समय से पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) के कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7 गीडा, गोरखपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (ii) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

(iii) ठेकेदार द्वारा भानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति अथवा उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

W) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) नियमानुसार देय होगा।

(i) जी०एस०टी० एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोटि करना सुनिश्चित करेंगे।

X) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ० प्र० शासन लोक निर्माण अनुभाग-7, लखनऊ के शासनदेश संख्या-08/2017/836/23-07-17-176 (सा०)/06 दिनांक 08 जून 2017 पैरा 19 के अनुसार देय होगी।

(i) अन्य नियम एवं शर्तें उ० प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, एवम् लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होगी।

Y) कार्य को फर्म/ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा।

Z) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगी।

(संजीव रंजन)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 2214 /अभि०नि०-6/विद्युत/निविदा (अल्प कालीन)/गीडा/2020-21 दिनांक 16 अक्टूबर, 2020
प्रतिलिपि :-

1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचनार्थ।

2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- श्री बृजेश कुमार अग्रहरी सहायक प्रबन्धक (सि०)/कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट www.gidagkp.org/www.E-tender.gov.in पर अपलोड/डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।

4- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

6- संबंधित पत्रावली हेतु।

(संजीव रंजन)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष- नं० (0551) 2580010, फ़ैक्स (0551) 2580010.

अल्प कालीन ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा/uplc में विद्युत निर्माण कार्य हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंसधारी ठेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक 20.10.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 29.10.2020 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा दिनांक 30.10.2020 को अपरान्ह 3:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि रु० (जी.एस.टी. व लेबर सेस अतिरिक्त।	धरोहर धनराशि रु०	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-13 के विस्तार हेतु विकास कार्य में विद्युतीकरण के अन्तर्गत अन्डरग्राउंड केबिल डालने का कार्य।	5102695.00	455135.00	2950.00	06 माँह	'ए' श्रेणी एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंस	आन- लाईन

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.gidagkp.org/www.E-tender.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 29.10.2020 तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट www.gidagkp.org/www.E-tender.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

नियम एवं शर्त :-

- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा- तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transasction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।
- ऐसे निविदादाता जिसका सगा-संबंधी (Defined as first bold relations, and their spouses) जैसा कि सहायक प्रबन्धक वित्त/सहायक प्रबन्धक विद्युत/सिविल/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/अधिकाारी अभियन्ता के पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध में नाम तथा पर सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा परिक्षेत्र में कार्यरत हैं।
- ऐसे राजपत्रित अधिकारी अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष कि सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये हैं, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रत्येक निविदादाताओं को रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर सभी सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है। जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/आकलित हो सकें।
- प्रत्येक निविदा के साथ निविदाता को सभी सूचनाये/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे- टी-4, टी-5, की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी-6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ शासनादेश संख्या-2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी०सी० दिनांक 23-09-2014 के कम में अपलोड करना अनिवार्य है।

1) प्रत्येक निविदादाताओं को रू0100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर नोटरी एफीडेविट कराते हुए सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों पर देना अनिवार्य है।

J) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-07-20176 (सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 को बिन्दु संख्या के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचितता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने के लिए माफिया गतिविधियों गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा साथ ही उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होगा उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागा में ब्लैक लिस्ट की श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ (नोटरी एफीडेविट) प्रस्तुत करना होगा।

K) निविदा में उल्लिखित कार्य के समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र लोक निर्माण विभाग/यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 के टी-2, में निहित प्राविधानों के अनुसार आगणन मूल्य का समान प्रकृति के कार्य का एक तिहाई धनराशि का संतोषजनक कार्य पूर्ण होने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

L) निविदादाता द्वारा विगत 05 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम आगणन के 50 प्रतिशत धनराशि का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेस सीट एवम् आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

M) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर लोक निर्माण विभाग/यू0पी0पी0सी0एल0 के नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत पर्फार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा। जमा की गयी परफार्मेन्स सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

N) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होनी चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।

O) निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है, अन्यथा विलम्ब के लिये रू0 1000 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्धदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

P) आपूर्ति/फिक्सिंग के लिये मंगायी गयी सामग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Q) आपूर्ति/फिक्सिंग के लिये मंगायी गयी सामग्री का मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा गीडा कार्यालय से नामित अधिकारी/कर्मचारी की ठेकेदार के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही ठेकेदार द्वारा सामग्री की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी।

R) ठेकेदार/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी 'क' श्रेणी वैध लाइसेंस, की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

S) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) गीडा में निहित होगा।

T) ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। निर्धारित डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड तक यदि भविष्य में शासन द्वारा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार/फर्म द्वारा मान्य होगा। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

U) निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

V) (i) ऑन लाईन के अतिरिक्त निविदा की एक मूल प्रति एवं धरोहर धनराशि एवम् धरोहर धनराशि/निविदा मूल्य हेतु RTGS/NEFT की गयी धनराशि का (UTR No/Transaction ID) तथा निविदा से संबंधित समस्त प्रपत्रों पर पृष्ठ अंकित करते हुये इन्डेक्स के साथ सील कर निविदा खोलने के समय से पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) के कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7 गीडा, गोरखपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।


(ii) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

- (iii) ठेकेदार द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यो का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति अथवा उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- W) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) नियमानुसार देय होगा।
- (i) जी०एस०टी० एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
- (ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोटि करना सुनिश्चित करेंगे।
- X) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ० प्र० शासन लोक निर्माण अनुभाग-7, लखनऊ के शासनदेश संख्या-08/2017/836/23-07-17-176 (सा०)/06 दिनांक 08 जून 2017 पैरा 19 के अनुसार देय होगी।
- (i) अन्य नियम एवं शर्तें उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एवम् लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होगी।
- Y) कार्य को फर्म/ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा।
- Z) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगी।

(संजीव रंजन)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 2213 /अभि०नि०-6/विद्युत/निविदा (अल्प कालीन)/गीडा/2020-21 दिनांक 16 अक्टूबर, 2020
प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री बृजेश कुमार अग्रहरी सहायक प्रबन्धक (सि०)/कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट www.gidagkp.org/www.E-tender.gov.in पर अपलोड/डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।
- 4- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- संबंधित पत्रावली हेतु।


(संजीव रंजन)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी